केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/158

दिनांक: 29.07.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00140
CICOM/R/2019/00464

अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मोहन मेहता,
सी 12/17, यमुना विहार,
दिल्ली - 110053.

निर्णय की तारीख : 29.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.06.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.06.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.07.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	232/24.07.2019 (15081/23.07.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 05.06.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2019 को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में केवल आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना पर ही विचार किया जाता है, प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित अन्य मदों पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

29/7/2019

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
29 JUL 2019
D. No.
Initials....